रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2009/चैत्र 4, 1931
No. 523] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2009/CHAITRA 4, 1931

## वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

**का.आ. 859(अ).**—जबकि, केन्द्र सरकार, ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (इसके बाद जे पी एम अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के तहत दिनांक 1 सितम्बर, 2008 को जारी आदेश संख्या का.आ. 2143(अ) (इसके बाद प्रमुख आदेश के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के माध्यम से पटसन वर्ष 2008-2009 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100% पैकेजिंग के लिए खाद्यान्न और चीनी को आरक्षित किया है ।

2. और, जबकि, जे पी एम अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार यदि इसका मत यह है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जो किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के वर्ग की आपूर्ति अथवा वितरण कर रहे हैं, को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है ।

3. और, जबकि, यदि प्रमुख आदेश के खंड 6 के प्रावधानों के तहत, पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में कमी अथवा व्यवधान की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय उक्त आदेश के प्रावधानों से अधिकतम 20% तक छूट देने के लिए अधिकृत है ।

4. और, जबकि, पटसन उद्योग में प्रचालन करने वाली 18 ट्रेड यूनियनें 1 दिसम्बर, 2008 से पश्चिम बंगाल में स्थित पटसन मिलों में लगातार हड़ताल पर चली गई जो 18-12-2008 तक चली जिसके कारण पश्चिम बंगाल में 52 पटसन मिलों में दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 के माह में उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था ।

5. और, जबकि, केन्द्र सरकार ने, उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएस एंड डी) और भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेएमए) के परामर्श से मौसम 2008-2009 के दौरान चीनी की पैकिंग के लिए पटसन के थैलों की मांग और पटसन उद्योग की सृदश आपूर्ति क्षमता की समीक्षा की है ।

6. और, जबकि, भारत सरकार ने, विचार किया है कि 2008-2009 मौसम के लिए चीनी उद्योग द्वारा अनुमानित आवश्यकता 1.73 लाख मी. टन है । चालू वर्ष के दौरान पटसन उद्योग से आपूर्ति 1.19 लाख मी. टन है । इस प्रकार, सरकार का यह मत है कि यह स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में खुला बाजार में चीनी पैकिंग के लिए पटसन थैलों की कमी है, जिस कारण बाजार मूल्य तेजी से 30-40% तक बढ़ गए हैं ।

7. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार का यह मत होने के कारण कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है और जे पी एम अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के खंड (2) की विनिर्दिष्ट वस्तुओं को, पटसन को छोड़कर, अन्य सामग्री में चीनी की पैकिंग की अनुमति होगी और पटसन वर्ष 2008-2009 के दौरान उक्त अनुसूची के 78वें खंड (3) में उल्लिखित वस्तुओं को प्रमुख आदेश के प्रचालन से छूट दी जाएगी ।

**अनुसूची**

| क्र.सं. | वस्तु | जिस हद तक मुख्य आदेश में छूट दी गई है; अर्थात् उस हद तक जहां वस्तु का उत्पादन (वस्तु के प्रत्येक उत्पादक द्वारा) पटसन को छोड़कर पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जा सकता है । |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | चीनी | 20% |

8. यह छूट पटसन वर्ष 2008-2009 के दौरान चीनी उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली वैकल्पिक पैकिंग सामग्री के लिए वैद्य होगी और उक्त वैकल्पिक पैकिंग सामग्री की खरीद 31-5-2009 तक पूरी कर ली जानी चाहिए ।

9. इस छूट के किसी दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

(क) छूट प्रदान की गई एजेंसियां पटसन आयुक्त (जेसी) को विवरण प्रस्तुत करेंगी जिसमें 15 जून, 2009 तक इस छूट के आधार पर वैकल्पिक पैकिंग सामग्री की खरीद का ब्यौरा (पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) होगा ।

(ख) खरीदी गई वैकल्पिक सामग्री बीआईएस और आईएलओ मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ।

(ग) थैलों और गांठों की ब्रांडिंग लागू नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए ।

10. प्रमुख निदेशक (चीनी) चीनी मिलों द्वारा छूट की उपयोगिता को मॉनिटर करेगा और जेपीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करेगा और दोषी पाए जाने की स्थिति में जेपीएम अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करेगा । प्रमुख निदेशक (चीनी) वस्त्र मंत्रालय को 31 जुलाई, 2009 तक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 9/9/2008/पटसन]
भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

(JUTE SECTION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2009

**S.O. 859(E).**— Whereas, the Central Government *vide* Order No. S.O. 2143 (E) dated 1st September, 2008 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provisions of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use In Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved food grain and sugar for 100% packaging in jute packaging material for the jute year 2008-2009.

2. And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

3. And, whereas, under the provisions of clause 6 of the Principal Order, in case of shortage and disruption of supply of jute packaging material, Ministry of Textiles is authorised to grant relaxation of the provisions of the said Order upto a maximum of 20%.

4. And, whereas, 18 Trade Unions operating in Jute Industry proceeded on a continuous strike in the jute mills located in West Bengal w.e.f. 1st December, 2008 which continued till 18-12-2008, on account of which, production in 52 Mills in West Bengal was adversely affected in the month of December 2008 as well as January 2009.

5. And, whereas, the Central Government has reviewed the demand of Jute Bags for packing sugar during 2008-2009 season and the corresponding supply capacity of the jute industry in consultation with Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Director General, Supplies & Disposals (DGS&D), as well as Indian Jute Mills Association (IJMA).

6. And, whereas, the Government of Inida has considered that the estimated demand by the sugar industry for 2008-2009 season is 1.73 lakh MT. The supply from the jute industry during the current year is estimated to be 1.19 Lakh MT. Thus, the Government is of the view that it is evident that under the current circumstances, there is a shortage of jute bags for packing sugar in the open market due to which, the market prices have risen sharply, by 30-40%.

7. Now, therefore, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, hereby directs that the commodities specified in the column (2) of the schedule below shall be exempted from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging sugar in material other than jute) upto the extent mentioned in column (3) of the 78+ said Schedule during the jute year 2008-2009.

**SCHEDULE**

| Sl. No. | Commodity | Extent to which the principal order is diluted; that is, extent upto which the production (by each of the producer of the commodity) of the commodity can be packed in packaging material other than jute. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | Sugar | 20% |

8. This exemption would be valid for use of alternate packing material used by Sugar industry during jute 2008-2009, and the procurement of the said alternative packing material should be completed by 31-5-2009.

9. In order to prevent any misuse of this exemption, this order shall be subject to the following conditions :—

(a) The exempted agencies shall furnish a return to the Chief Director (Sugar) and the Jute Commissioner (JC) indicating the details of procurement of alternative packing material on the basis of this relaxation (in the format prescribed by the Jute Commissioner) by 15th July, 2009.

(b) Alternate packing material procured should be as per the BIS and ILO standards.

(c) Branding of the Bags and Bales should be according to the applicable Rules.

10. Cheif Director (Sugar) shall monitor the utilisation of exemption by the sugar mills and enforce the provisions of the JPM Act, and take action as per the JPM Act in case of default. Chief Director (Sugar) shall submit a consolidated report to Ministry of Textiles by 31st July, 2009.

[F.No. 9/9/2008-Jute]
BHUPENDRA SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.